57

सतना

नि०/सतना/भू-रा०/2017/3743

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा ﴾म०प्र०﴿

5 रु. कोर्ट फीस Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फीस Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

विलोपित

उदयराज सिंह रघुवंशी पिता जयदेवेन्द्र सिंह रघुवंशी उम्र 30 साल निवासी

ग्राम खारा तहसील रामनगर जिला रीवा ﴾म०प्र०﴿ ----निगरानीकर्ता

बनाम

जवाहर सिंह पिता रामजियावन सिंह उम्र 51 साल पेशा खेती व प्राइवेट

नौकरी निवासी ग्राम खारा तहसील रामनगर जिला सतना ﴾म०प्र०﴿

------गैरनिगरानीकर्ता

आवेदक श्री उदयराज सिंह रघुवंशी द्वारा स्वतः प्रस्तुत किया गया / 9-10-17

9-10-17
क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी रामनगर जिला सतना ﴾म०प्र०﴿ प्रकरण क्रमांक 32अपील/16-17 आदेश दिनांक 29-8-2017•

- -

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई० ।

- -

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1• यह कि गैरनिगरानीकर्ता ने दिनांक 6-6-2014 तहसीलदार तहसील वृत्त बडवार के विरुद्ध यह अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय रामनगर जिला सतना के यहां प्रस्तुत किया,था, जाहिरा यह अपील करीब 3 वर्ष के बेलम्याद थी, और गैरनिगरानीकर्ता ने धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र भी अपील के साथ प्रस्तुत किया । और धारा 5 में यह बताया कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की

उदयराज सिंह

सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–निगरानी/सतना/भू.रा./2017/3743

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/4/18	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, रामनगर जिला सतना के प्रकरण कमांक 32/16–17 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 29–8–17 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राहयता पर विद्वान अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दि. 29–8–17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसील न्यायलय के प्र.क. 18 अ 6/13–14 में पारित आदेश 6–6–14 के विरूद्व प्रस्तुत अपील को इसलिये समयाविध में मानकर विलम्ब क्षमा किया है क्योंकि तहसील न्यायालय में समन पर एंव सहमति पत्र पर जो हस्ताक्षर हैं उनका मिलान नहीं होता है। अनुविभागीय अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि यदि अपीलांट तहसील न्यायालय में सहमति देता, निश्चित है उसे अपील करने की आवश्यकता नहीं थी। आदेश में उन्होंने यह भी अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में की गई कार्यवाही के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रकरण कूटरचित है, जिसके कारण उन्होंने परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विलम्ब क्षमा करने हेतु प्रस्तुत आवेदन के कारण विश्वनीय मानकर विलम्ब क्षमा किया है।	

परिसीमा अधिनियम , 1963 की धारा 5 में व्यवस्था दी गई है कि अपील फाइल करने में विलम्ब की माफी पर विचार किया जाना है और विलम्ब माफी का बाजिव कारण बताया गया है तब विलम्ब माफ कर देना चाहिये। मामला गुणागुण पर निराकरण के लिये विचार में लिया जाना चाहिये। अवधि विधान की धारा–5 सहपठित म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 के अंतर्गत अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन के कारणों पर विचार करते हुये मामले में विधि का सारवान सिद्धांत अंतर्ग्रस्त हो तब परिसीमा की तकनीक उस पर अभिभावी नहीं मानना चाहिये एंव ऐसे मामले में न्याय से इंकार नहीं करना चाहिये (A.I.R. 1987 S.C. 1353 से अनुसरित)

आवेदक के पास अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आगे की सुनवाई में पक्ष रखने एंव दावा प्रमाणित करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, रामनगर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 32/16–17 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 29–8–17 में निकाले गये निष्कर्ष समाधान कारक होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

3/ उपरोक्त आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी, हनुमना जिला रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 32/16–17 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 29–8–17 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य